**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 248**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा खरीद के संबंध में कुछ फर्मों को काली सूची में शामिल किया जाना**

**\*248. श्री राजीव शुक्ल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या मंत्रालय ने हाल ही में कुछ फर्मों को मंत्रालय के साथ व्यवसाय करने के संबंध में काली सूची में शामिल कर दिया है ;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;**

**(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान रक्षा खरीद प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ; और**

**(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?**

**उत्तर  
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**रक्षा खरीद के संबंध में कुछ फर्मों को काली सूची में शामिल किए जाने के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19 मार्च 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 248 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): छह फर्मों को दस वर्ष की अवधि हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ आगे व्यावसायिक लेन-देन करने से विवर्जित किया गया है । इस विवर्जन को अगले आदेशों अथवा उस समय तक, जब तक फर्म को विवर्जित करने के आदेश बने रहते हैं, जो भी पहले हो, तक प्रत्येक विवर्जित फर्म की सभी संबद्ध/सहायक फर्मों के लिए आगे लागू किया गया था । अन्य चार फर्मों के संबंध में, इन फर्मों से अधिप्राप्ति को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश केवल उन मामलों में जारी किए गए हैं जहां अधिप्राप्तियां, संक्रियात्मक आवश्यकता के कारण, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से और अन्य विकल्पों की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक समझी जाती हैं ।

(ग) और (घ): रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों का समावेश किया गया है :

(i) अधिप्राप्ति कार्यकलापों {आवश्यकता स्वीकृति (एओएन) से संविदा प्रदान किए जाने तक} को पूरा करने हेतु व्यापक समय-सीमा को बहु-विक्रेता मामलों में 80-117 सप्ताह से घटाकर 70-94 सप्ताह और परिणामी एकल विक्रेता मामलों में 92-137 सप्ताह से घटाकर 82-114 सप्ताह किया गया है;

(ii) एओएन की वैधता अवधि को भी घटा दिया गया है;

(iii) प्रस्ताव हेतु मसौदा अनुरोध (आरएफपी) के साथ एओएन चरण पर ही मामले का विवरण (एसओसी) संलग्न करना होगा;

(iv) फास्ट ट्रैक प्रक्रिया (एफटीपी) मामलों के उद्देश्य को वर्धित किया गया है ताकि पहले से अवगत तथा आकस्मिक दोनों स्थितियों के संबंध में आकस्मिक संक्रियात्मक आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके ।

\*\*\*